1	विभाग–	श्रम विभाग
2	योजना का नाम –	**निर्माण कामगार बालिका मदद योजना**
3	योजना संक्षिप्त टिप्पणी–	यह योजना श्रम आयुक्त, उ0 प्र0 के पत्र सं0 7596–7727/भवन निर्माण–(185)/2011 दिनांक 22.09.2011 के द्वारा अधिसूचित की गई है। **उद्देश्य**– बालिकाओं के निरंतर घटते लिंगानुपात, कन्या भ्रूण हत्या, बालिकाओं को सम्मानजनक एवं आत्मनिर्भर बनाने की दृष्टि से तथा बालिकाओं के जन्म के प्रति जनता में सकारात्मक सोच सृजित करना
4	पात्रता की अर्हता–	• 01 वर्ष से अधिक समय के पंजीकृत श्रमिकों के परिवार में जन्मी पहली बालिका को इस योजना अंतर्गत लाभ मिलेगा। परिवार में जन्मी दूसरी बालिका को भी इस योजना का लाभ केवल उसी स्थिति में मिल सकेगा जब दोनों संतान बालिका हों, किन्तु प्रथम अथवा द्वितीय प्रसव में एक से अधिक बालिकायें यदि जन्म लेती हैं, तो ऐसी स्थिति में सभी बालिकाओं को इसका लाभ अनुमन्य होगा। • यदि परिवार में अपनी संतान न होने की स्थिति में बालिका को कानूनी रूप से गोद लिया है, तो ऐसी 01 बालिका तक उसे प्रथम बालिका मानते हुए, योजना का लाभ अनुमन्य होगा। • बालिका के जन्म का पंजीकरण जन्म–मृत्यु पंजिका पर होना अनिवार्य है। • किन्तु यदि 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने से पूर्व सम्बन्धित पुत्री का निधन हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में उक्त योजना अंतर्गत स्वीकृत हितलाभ अनुमन्य नहीं होगा और सावधि जमा की धनराशि बोर्ड के कोष में वापस हो जाएगी। • प्रतिबंध यह भी है कि सम्बन्धित बालिका को भारत सरकार अथवा प्रदेश सरकार द्वारा समान उद्देश्य से चलाई जा रही किसी अन्य योजना का लाभ प्रदत्त न किया गया हो।
5	आवेदन की प्रक्रिया–	आवश्यक अभिलेखों सहित स्थानीय श्रम कार्यालय में निःशुल्क आवेदन
6	लिंक वेवसाईट	http://upbocw.in/
7	सम्पर्क सूत्र	अन्य जानकारी हेतु सम्बन्धित जनपद के उप श्रमायुक्त से सम्पर्क किया जा सकता है।